


(15)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है खसरा सं०:-198, क्षेत्रफल:- 0.3620 हैं० व खसरा सं०:- 205, क्षेत्रफल:- 0.9940 हैं०, उपरजिलाधिकारी फरीदपुर द्वारा दिनांक 03.03.2021 के आदेश के अनुसार भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है। यह भूमि ट्रिनिटी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को दर्ज की जाती है। प्रस्तावित भूमि में निर्मित भवन एवं अवशेष भू-भाग का उपयोग दीपमाला कॉलेज ऑफ़ फार्मसी हेतु प्रयोजन दी जाती है। इस भूमि पर अन्य किसी भी तरह का प्रयोजन नहीं किया जा रहा है और इस भूमि समस्त गाटे मिलान पर है तथा उनके मध्य है कोई भी नाली चकरोड/रास्ता, कब्रिस्तान/शमशान तथा कोई भी तालाब नहीं है।


पंकज यादव
लेखपाल





न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : फरीदपुर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202012130302961
वाद संख्या:- 02961/2020
श्रीमती डा० मनीषा मेहरोत्रा बनाम अशोक कुमार अग्रवाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 35(1)(ग)
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/11/2020

न्यायालय तहसीलदार फरीदपुर, बरेली।
वाद संख्या टी० 202012130302961 धारा 35 (1)(ग) रा० सं० 2006
श्रीमती डा० मनीषा मेहरोत्रा बनाम अशोक कुमार अग्रवाल
ग्राम जेड परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

निर्णय

प्रस्तुत वाद उप निबन्धक फरीदपुर से प्राप्त बैनामा के आधार पर दर्ज रजिस्टर कर इश्तहार जारी किया गया जो वाद तामील शामिल मिसल किया गया। किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आयी। वादी द्वारा साक्ष्य में बैनामा दिनांक 09.10.2020, शपथपत्र, नकल खतौनी दाखिल की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य लेखपाल के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। क्रय की गई भूमि ग्राम समाज पटटे की नहीं है। भूमि बन्धक नहीं है। क्रेता के पास 12.5 एकड़ से कम भूमि है। भूमि पर क्रेता का कब्जा है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निम्न नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है।
आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम जेड परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के खाता सं० 26 गाटा सं० 198 रकबा 0.362 लगान 60ख अनुसार के सम्पूर्ण भाग से विक्रेता अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० राधेश्याम अग्रवाल निवासी 75 अशोक नगर सुनगढी पीलीभीत हाल निवासी 35ए रामपुर बाग बरेली का नाम खारिज करके क्रेता ट्रिनिटी एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड आफिस दीपमाला अस्पताल निकट बी०एस०एन०एल० टेलीफोन एक्सचेंज चैपुला रोड बरेली द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती डा० मनीषा मेहरोत्रा पुत्री श्री जितेन्द्र नाथ सेठ निवासी 35टी०/3बी रामपुर बाग बरेली का नाम द्वारा बैनामा दिनांक 09.10.2020 संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमल दरामद दाखिल दफतर हो।


दिनांक 27.11.2020

तहसीलदार,

फरीदपुर।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है। इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"


श्रीमती
ड्रिनिटी एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट
बरेली

